



सं. मानू/हि.प्र./2022/१२३३

दिनांक: 0२ नवंबर, 2022.


परिपत्र

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार केन्द्र सरकार के द्वारा नियंत्रित कार्यालयों में सभी कार्यालयी कार्य द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेज़ी में होंगे।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाले प्रशासनिक तथा अनय रिपोर्टें सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में जारी किए जाएं। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

तदनुसार, सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / अनुभाग अध्यक्षों / प्रभारी से अनुरोध है कि, राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत वह अपने आधिकारिक कार्यों के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान दें।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।


प्रभारी कुलसचिव



प्रति:

1. कुलपति/ कुलसचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-I/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-II/
वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
2. सभी विभागाध्यक्ष / अनुभागाध्यक्ष / प्रभारी
3. निदेशक, सीआईटी- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ (4) संबंधित फाइल